कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 19 / 2023

श्री सुभाष चन्द, गली नं. 6 गंगा धोबिन के पास तिलक नगर, भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रुपवास जिला भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 28.6.2023**

अपीलार्थी श्री सुभाष चन्द, गली नं. 6 गंगा धोबिन के पास तिलक नगर, भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिनियम के तहत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 4–4–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रुपवास से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रुपवास द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 369 दिनांक 5.6.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रुपवास से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रुपवास से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 4.4.2023 के द्वारा सूचना चाही गई थी, इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रुपवास से कोई जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना उसे लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रुपवास को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई चाही गई वांछित सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो, निर्णय की

......2

प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रुपवास को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,भरतपुर
भरतपुर